

अपशषिट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग

प्रिलमिस के लिये:

अपशषिट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग

मेन्स के लिये:

अपशषिट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग तथा इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) द्वारा वर्ष 2019-20 के 'अपशषिट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग' परणाम प्रकाशित किये गए।

प्रमुख बडि:

- उल्लेखनीय है कि 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है।
- अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दिया गया।
- स्टार रेटिंग मूल्यांकन हेतु 1435 शहरों ने आवेदन किया था जिनका मूल्यांकन कर 141 शहरों को स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया है।
- स्टार रेटिंग संबंधी नियमों को समग्र रूप से तैयार किया गया है जिसमें नालियों और जल नकियों की सफाई, प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन, नरिमाण तथा वधिवंस अपशषिट इत्यादि जैसे घटक शामिल हैं। गौरतलब है कि ये घटक किसी शहर को अपशषिट मुक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु स्वच्छता और प्रभावी ठोस अपशषिट प्रबंधन को भी अत्यधिक महत्त्व दिया गया है।
- स्टार रेटिंग को तीन चरणों की मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है।
 - प्रथम चरण- शहरी स्थानीय नकियाय एक विशेष समय-सीमा के तहत स्टार रेटिंग संबंधी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
 - द्वितीय चरण- मंत्रालय द्वारा चयनित और नियुक्त तृतीय पक्ष एजेंसी से मूल्यांकन कराया जाता है।
 - तृतीय चरण- क्षेत्र में जाकर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाता है।
- अपशषिट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग हेतु एक संशोधित प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया है।
- इस नए संशोधित प्रोटोकॉल में 'वार्ड-वाइज जेओ-मैपिंग' (Ward-wise Geo-mapping), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ठोस अपशषिट प्रबंधन की नगिरानी करना तथा 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कई क्षेत्रों में विभाजित कर रेटिंग की जाएगी।
- **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी** के तहत भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने तथा कम-से-कम प्रत्येक शहर को 3 स्टार रेटिंग में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ध्यातव्य है कि जनवरी 2018 में शहरों को अपशषिट मुक्त बनाने, शहरों के तंत्र को संस्थागत रूप देने और स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु शहरों को प्रेरित करने को ध्यान में रखते हुए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था।

स्टार-रेटिंग प्रोटोकॉल का लक्ष्य:

- सभी शहरों को अपशषिट मुक्त बनाना, ताकि किसी भी सार्वजनिक, वाणजियिक या आवासीय स्थानों पर (कूड़े के डबिबे या स्थानांतरण स्टेशनों को छोड़कर) किसी भी प्रकार का कूड़ा-अपशषिट न मिलने पाए।
- अपशषिट का 100% वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- सभी प्रकार के अपशषिट को उपचारित करना।
- सभी शहरों को वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशषिट, प्लास्टिक अपशषिट और नरिमाण गतिविधियों संबंधी अपशषिट का प्रबंधन करने योग्य बनाना।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अन्य पहलें:

- COVID-19 के मद्देनजर मंत्रालय ने सभी राज्यों को सार्वजनिक स्थानों की विशेष सफाई करने के साथ ही संक्रमण को रोकने हेतु एकांतवास में

रखे गए लोगो के घरों से जैव-चकित्सा अपशषिट के संग्रहण और नपिटान हेतु वसितृत दशिश-नरिदेश जारी कयि है ।

- बेहद लोकप्रयि नागरकि शकियत नविरण मंच, स्वच्छता एप (Swachhata App) को भी संशोधति कयि गयि है ।
- मंत्रालय ने सफाई कर्मचारयिों के लयि वयक्तगित सुरक्षा उपकरण, स्वास्थय जाँच और नयिमति मज़दूरी के भुगतान के संबंघ में भी दशिश-नरिदेश जारी कयि है ।
- लगभग 50 लाख वकिरेताओं (स्टरीट वेंडरस) की मदद हेतु माइक्रो-क्रेडिटि की भी सुवधि शुरू की जा रही है ।
- वनिरिमाण उदयों में काम कर रहे प्रवासी शर्मकिों को मदद हेतु 'अफोर्डेबल रेंटल हाउसगि कॉम्प्लेक्स' (Affordable Rental Housing Complexes- AHRCs) लॉन्च कयि ज़ाएगा ।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/star-rating-of-garbage-free-cities>

